

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2021/4150

दिनांक:- 09 सितम्बर, 2021


-: आ-दे-श :-

- 01 श्री रितुदेव सिंघल शरिस्तेदार ग्रेड-III का न्यायालय विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन0आई0 एक्ट प्रकरण) क्रम-8 से न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-प्रथम में किया गया प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उपरोक्त कर्मचारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पूर्व पदस्थापन न्यायालय से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापित न्यायालय में पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करें।
- 02 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4142 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित रीडर ग्रेड-III/ शरिस्तेदार ग्रेड-III जिनकी रीडर ग्रेड-II/शरिस्तेदार ग्रेड-II/कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति की गयी है, का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	रितुदेव सिंघल • शरिस्तेदार ग्रेड-III	Spl. MM (NI Act Cases) No. 8	ACMM PCPNDT Cases	शरिस्तेदार ग्रेड-II के रिक्त पद पर

नोट:- उक्त कर्मचारी को तीन दिवस की अवधि में नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

- 03 उक्त श्री रितुदेव सिंघल शरिस्तेदार ग्रेड-II, न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट पीसीपीएनडीटी प्रकरण को आगामी आदेश तक न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-प्रथम में कार्य निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है। उक्त कर्मचारी का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेगा तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।



 जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2021/4150

दिनांक:- 09 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर
- 02 संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर
- 03 संबंधित कर्मचारी
- 04 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 05 निजी पत्रावली-संबंधित कर्मचारी
- 06 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली


 जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 जयपुर महानगर-प्रथम